

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप-10) विभाग

क्रमांक: प.14(32)गृह-10 / 2024-18184

जयपुर, दिनांक:-

—: आदेश :—

राज्य सरकार पेट्रोलियम नियम, 2002 के नियम 154 के प्रावधानों के संदर्भ में निम्नानुसार अपीलीय अधिकारी नियुक्त करती है—

क्र.सं	संबंधित अधिकारी	अपीलीय अधिकारी
1	पुलिस आयुक्त	महानिदेशक पुलिस
2	पुलिस उपायुक्त	आयुक्त
3	जिला मजिस्ट्रेट	संभागीय आयुक्त

आज्ञा से

(रवि शर्मा)

शासन सचिव, गृह (विधि)

प्रतिलिपि:— सादर सूचनार्थ प्रेषित है।

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्य मंत्री महोदय, गृह
2. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री महोदय, गृह
3. उपसचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह
4. संयुक्त शासन सचिव, गृह (ग्रुप-6) को प्रेषित कर अनुरोध है कि गृह विभाग की साईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:— सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. महानिदेशक, पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
2. समस्त संभागीय आयुक्त।
3. पुलिस आयुक्त, जयपुर/जोधपुर।
4. समस्त जिला मजिस्ट्रेट।
5. समस्त पुलिस उपायुक्त, जयपुर/जोधपुर।

RajKaj Ref
7450551 शासन सचिव, गृह (विधि)